

## न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—नरेश कुमार शर्मा  
आई०ए०एस०

प्रा० पत्र सं० 16/2016



रघुनाथ पुत्र हणुता मीना उम्र 80 साल जाति मीना निवासी काली पहाडी तहसील  
व जिला दौसा ..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
2. उपखण्ड अधिकारी, दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
3. विकास अधिकारी, दौसा पंचायत समिति दौसा तहसील दौसा जिला दौसा
4. सरपंच ग्राम पंचायत काली पहाडी तहसील दौसा जिला दौसा
5. श्रवण पुत्र हीराराम बैरवा जाति बैरवा निवासी काली पहाडी तहसील व जिला दौसा ..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ०धा० 14 (4)  
भू-आवण्टन नियम-1970

उपस्थिति-1. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 06.12.2017

संक्षिप्त वृत्तांत प्रा० पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 15.06.1989 को ग्राम काली पहाडी तहसील दौसा के आ०ख०नं० 1898/6 रकबा 1.25 है० भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्रवण को किया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अ०धा० 14 (4) भू-आवण्टन नियम-1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा० पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया।  
अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी।



राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि दिनांक 15.06.1989 को ग्राम काली पहाडी सहस्रील दौसा के आ0ख0नं0 1898/6 रकबा 1.25 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्रवण को किया गया। प्रार्थी द्वारा अपनी अपील मीमों में 50 वर्षों से कब्जा होना कहकर आये है और नियमन करने के आदेश प्रदान करने हेतु इस्तदुआ की है। साथ ही अप्रार्थी के फौत होने का रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद न तो प्रार्थी उपस्थित हुए और न ही कायम मुकामान पेश किया गया जो अवधिपार हो चुके है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावें।

प्रार्थी उपस्थित नहीं है। गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित समझते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी अपील मीमों में 50 वर्षों से कब्जा होना बताया जाकर नियमन करने के लिए प्रा0 पत्र पेश किया गया है। चूँकि न्यायालय द्वारा नियमन करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में इस प्रा0 पत्र पर विचार करना उचित नहीं समझते है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति से भी हम सहमत है कि प्रार्थी को समयावधि में कायम मुकामान पेश करने चाहिए थे किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई रुचि नहीं ली जा रही है। जिससे स्पष्ट होता है कि वे प्रकरण को देरीना करने की गरज से चला रहे है। जिसका कोई प्रयोजन नहीं है तथा यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं करना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रा0 पत्र खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन दिनांक 15.06.1989 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित प्रेषित की जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा  
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक: 06 दिसम्बर, 2017 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।



(नरेश कुमार शर्मा)  
जिला कलेक्टर, दौसा  
जिला कलेक्टर, दौसा